BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO 417/2022

In re:

NIRANJAN BAGCHI ...Applicant

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ..Respondents

INDEX

S.No	Particulars	Page No
1.	Progress report on behalf of District Magistrate, Dehradun, Uttarakhand.	1-3
2.	**Annexure A** Copy of the order dated 15.10.2024	4-5
3.	**Annexure B** Copy of the Draft Notification dated 07.10.2024	6-7
4.	**Annexure C** Copy of the Notice published in Dainik Jagran and Hindustan Samachar Patra dated 11.10.2024	8-9
5.	**Annexure D** Copy of the letter no 550/L.B.C-2024 dated 18.10.2024.	10
6.	**Annexure E** Copy of the letter no 941/L.B.C-2024 dated 07.12.2024.	11
7.	**Annexure F** Copy of the letter no 2942/A.Ni.Kha.De/FPZ dated 07.11.2024	12
8.	**Annexure G** Copy of the letter no 3190/A.Ni.Kha.De/FPZ. Dated 09.12.2024	13-21

DATE: 13 /12/2024

ADV ANJALI RAJPUT
Panel Counsel, State Of Uttarakhand
CH no 136, M.C.Setalvad Block,
Supreme Court Of India,New Delhi, 9811777368

जिलाधिकारी
देहरादून

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO 417/2022

In re:

NIRANJAN BAGCHI ...Applicant

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ..Respondents

PROGRESS REPORT ON BEHALF, DISTRICT MAGISTRATE, DEHRADUN IN COMPLIANE OF THE ORDER DATED 15.10.2024.

Most respectfully showeth:

I Savin Bansal aged about 40 years s/o Sh Shashi Bansal., presently posted as District Magistrate, Dehradun, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under: -

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present additional reply by way of affidavit.
2. That the above-mentioned matter was listed before the Hon'ble Tribunal multiple times and on 15.10.2024 and the hon'ble tribunal was please to pass the following order:

   "1. It is stated that interim Notification under Section 8 of UttarakhandFlood Plain Zoning Act, 2012 dated 07.10.2024 has been published forinformation of public, inviting objections, if any, on 11.10.2024 andunder statute 60 days' time is available to public to give their objections, which period will expire on 11.12.2024.

   2. List this matter on 16.12.2024 on which date progress report shallbe submitted mentioning clearly as to how many objections are received

जिलाधिकारी
देहरादून

and how much time District Magistrate will require for disposal.

3. On the next date, District Magistrate concerned as also PrincipalSecretary, Irrigation shall remain present."

That the copy of the order is Annexed here with as **Annexure A.**

3. It is submitted that as per the directions given in notification no 941/II(2)/2024-6(40)2024 dated 07.10.2024 by Secretary Irrigation and Flood Control Department Govt Of Uttrakhand the aforesaid notification **(Annexure B)** a notice was published in newspapers Dainik Jagran and Hindustan Samachar Patra on 11.10.2024, inviting objections/suggestions from concerned interested persons in writing on any working day at the office address District Collectorate Complex Dehradun with in 60 days from the date of Publication in newspaper's. The notice was also uploaded on the website of NIC of District Dehradun (dehradun.nic.in). That the copy of the Notice published in Dainik Jagran and Hindustan News Patra on 11.10.2024 is annexed herewith as **Annexure C.**

4. It is submitted thatundersigned vide letter no 550/L.B.C-2024 dated 18.10.2024 **(Annexure D)** and letter no 941/L.B.C-2024 dated 07.12.2024**(Annexure E)**directed Supritendent Engineer, Irrigation Department Dehradun, to disseminate information of prohibited and restricted areas as specified in notification dated 07.10.2024 in timely manner and was instructed to provide the videography/Photographs/ Pamphlet of the same. That Executive Engineer, Research and Planning Division, Dehradun vide letter no 2942/A.Ni.Kha.De/FPZ dated 07.11.2024 **(Annexure F)** and vide letter no 3190/A.Ni.Kha.De/FPZ. Dated 09.12.2024 **(Annexure G)**, provided the photography/videography of the publicity to the office of District Collectorate.

5. It is submitted that an objection Jointly signed by 08 persons dated 20-11-2024 had been received on dated 30-11-2024 and

जिलाधिकारी
देहरादून

One objection dated 01.12.2024 had been received. These objections were dispose of by the committee on 10.12.2024 under the chairmanship of the District Magistrate Dehradun after giving the reasonable opportunity of being heard to objectors.

6. It is submitted that total number of 132 objections were received on dated 05-12-2024, 09-12-2024 and 10-12-2024 respectively. To dispose these objections/suggestions a hearing has been scheduled by the said committee on 14-12-2024 at 11:00 am which was duly published in Hindustan and Dainik Jagran newspaper dated 13-12-2024 for information of general public. Approximately 45 days will be required for the dispose of the objection. There by it is requested to provide time till 30-01-2025 for disposal of objection received so far.

7. That the present Progress report is filed in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

13/12 जिलाधिकारी
SAVIN BANSAL, देहरादून
District Magistrate,
Dehradun, Uttarakhand.

Dated:

ANNEXURE A

Item No. 04 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand Respondent(s)

Date of hearing: 15.10.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

Respondents: Ms. Anjali Rajput, Advocate for State of Uttarakhand
Mr. Kaushal Gautam and Ms. Snehpreet Kaur, Advocates for Respondent No. 3 (through VC)
Mr. Raj Panjwani, Senior Advocate with Dr. Aman Rab, Ms. Sunidhi Sah, Ms. Payal Bhatia, Advocates for Irrigation Department and Municipal Corporation alongwith Dr. R. Rajesh Kumar, Secretary Irrigation, Mr. Gaurav Kumar, Municipal Commissioner,
Dehradun and Mr. Jai Pal Singh HOD, Irrigation (through VC)
Mr. Vinay Garg, Advocate for respondent no. 8 MDDA (through VC)

ORDER

1. It is stated that interim Notification under Section 8 of Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 dated 07.10.2024 has been published for information of public, inviting objections, if any, on 11.10.2024 and under statute 60 days' time is available to public to give their objections, which period will expire on 11.12.2024.

2. List this matter on 16.12.2024 on which date progress report shall be submitted mentioning clearly as to how many objections are received and how much time District Magistrate will require for disposal.

3. On the next date, District Magistrate concerned as also Principal Secretary, Irrigation shall remain present.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

October 15, 2024
Original Application No. 417/2022
AB

ANNEXURE B

संख्या-941/II (2)/2024-6(40)/2024

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2
ई0 पत्रावली संख्या-76975
देहरादून, दिनांकः 07 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार जनपद देहरादून के सदर तहसील के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फाल से मोथरोवाला संगम तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु, एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियॉ और समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण

पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी– प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी देहरादून एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ–साथ जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

संलग्नकः यथोपरि।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–76975, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, गढवाल।
2. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक क्षेत्रीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना से सम्बन्धित विवरण विभागीय वेबसाईट एवं NIC देहरादून की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (देहरादून)।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC देहरादून की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

हिन्दुस्तान www.livehindustan.com

ANNEXURE C

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

संख्याः 440/ एल०बी०सी०-2024

-: अधिसूचना :-

दिनांकः 10 अक्टूबर, 2024

सचिव, सिंचाई अनुभाग एंव बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून ई-पत्रावली-76975 संख्या-941/II(2)/2024-6(40)/2024 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा जनपद देहरादून के सदर तहसील के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटो पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक बाढ मैद्रान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रो में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।

क०सं०	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यो का विवरण
1.	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/ बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/ गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए कि नदी की धारा/ प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में प्रकरण विशेष में उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2.	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/ गतिविधियों और समय-समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/ स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल-मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/ परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू- आच्छादन 35 प्रतिशत तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/ अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/ प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।" उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं, सुझाव जिलाधिकारी / बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के कार्यालय पता जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर देहरादून में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा/प्रतिषिद्ध (Prohibited) क्षेत्रों की अनुसूची–01

क्र0 सं0	ग्राम/मौजा का नाम	खसरा/गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	खाता खतोनी संख्या	बाढ मैदान परिक्षेत्रण में स्थित भूमि की माप/क्षेत्रफल (है0 में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मकड़ैती	72 (ग)		1–क–स0 भूमिधर	41	0.0360	
2.		72 (घ)		जलमग्न 6.1	52	0.1200	
3.		73		1–क–स0 भूमिधर	41	0.0360	
4.		74 (क)		5.3–	46	0.0320	
5.		98 (घ)		5.3–	46	0.0820	
6.		162 (ख)		Non ZA	–	0.3800	
7.		179		Non. ZA.		0.2230	
8.		172 (घ)		Non. ZA. जलमग्न		0.1830	
9.		181		6.1 जलमग्न		0.0720	
		Total				1.164	
1.	हतडीवाला	16		श्रेणी–15 (जलमग्न)	4 खेवट स–1	0.4850	
		Total				**0.4850**	
1.	वीरगीरवाली	98		श्रेणी–15–1 (जलमग्न)	खाता स–10	0.0070	
2.		106		श्रेणी–15–1 (जलमग्न)	खेवट स–1	0.0040	

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

संख्या 440 /एल0ओ0सी0–2024

दिनांक 10 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

सचिव, सिंचाई अनुभाग एंव बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून ई पत्रावली–76975 संख्या–941/II(2)/2024–6(40)/2024 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा जनपद देहरादून के सदर तहसील के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटो पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक बाढ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिशिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रो में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र. सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यो का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो. जनहित में प्रकरण विशेष में उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियों और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई /स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं. की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण /अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो. जनहित में प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के कार्यालय पता जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, देहरादून में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

आज्ञा से

जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून

रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा/प्रतिशिद्ध (Prohibited) क्षेत्र की अनुसूची–01

क्र0 सं0	ग्राम/मौजा का नाम	खसरा/गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	खाता खतोनी संख्या	बाढ मैदान परिक्षेत्रण में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल (है0 में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		72 (ग)		1–क–स0 भूमिधर	41	0.0360	
2.		72 (घ)		जलमग्न 6.1	52	0.1200	
3.	मकडैती	73		1–क–स0 भूमिधर	41	0.0360	

1.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, रा.मा. खण्ड लो.नि.वि. रूद्रप्रयाग

ANNEXURE D

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या 550/एल0बी0सी0–2024 दिनांक 18 अक्टूबर ,2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
सिचांई खण्ड देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या– 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण अुनभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 941/II(2)/2024–6(40)/2024 सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 ई0 पत्रावली सं0–76975 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर 2024 मे जनपद देहरादून के सदर तहसील के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटों पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना जारी करते हुये जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को अधिसूचना को समाचार पत्र के माध्यम प्रकाशित कराते हुये हितबद्व व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव मंगाये जाने हेतु निर्देश दिये गये है ताकि अंतिम अधिसूचना जारी की जा सके।

शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी देहरादून की ओर से समाचार पत्र (दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान दिनांक 11.10.2024) मे उक्त अधिसूचना प्रकाशित करा दी गयी है, किन्तु आजतक किसी भी व्यक्ति द्वारा इस कार्यालय मे कोई आपत्तियां एवं सुझाव उपलब्ध नही कराये गये है। सचिव, सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधोहस्ताक्षरी को मौखिक निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित प्रतिषिद्व या निर्बन्धित क्षेत्रों मे व्यापक प्रचार–प्रसार (ढोल आदि) के माध्यम से कराने एवं उक्त प्रचार–प्रसार की विडियोग्राफी भी कराते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करा दे।

19.10.24

(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

1. सचिव महोदय, सिचांई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून।

19.10.24

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून।

21/10/24

ANNEXURE E

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या 941 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 07 दिसम्बर ,2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
सिचांई खण्ड देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या– 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 941/II(2)/2024–6(40)/2024 सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 ई0 पत्रावली सं0–76975 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर 2024 के द्वारा जनपद देहरादून के सदर तहसील के अन्तर्गत रिस्पना नदी के तटो पर शिखर फॉल से मोथरोवाला संगम तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना जारी करते हुये जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को अधिसूचना को समाचार पत्र के माध्यम प्रकाशित कराते हुये हितबद्व व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव मंगाये जाने हेतु निर्देश दिये गये है ताकि अंतिम अधिसूचना जारी की जा सके।

शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी देहरादून की ओर से दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान समाचार पत्र दिनांक 11.10.2024 मे अधिसूचना दिनांक 07.10.2024 का प्रकाशन कराया गया था जिसके कम मे 02 आपत्तिया इस कार्यालय को प्राप्त हुई है उक्त आपत्तियों की सुनवाई जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 10.12.2024 को समय 10:15 बजें से ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून मे की जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि कृपया आप प्राप्त आपत्तियो की सुनवाई दिनांक 10.12.2024 से पूर्व पुनः अधिसूचना दिनांक 07.10.2024 का सम्बन्धित प्रतिपिद्व या निर्वन्धित क्षेत्रों मे सम्यक रूप से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित कर ले, तथा प्रचार–प्रसार की अनुपालनात्मक आख्या मय विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/पैम्प्लेट सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव महोदय, सिचांई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी (प्र0) महोदय, देहरादून।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

ANNEXURE F

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड,
देहरादून।

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी, (प्र०)
देहरादून।

पत्रांकः– 2942 /अ०नि०ख०दे० / FPZ दिनांकः– 07/11/2024

विषयः– रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–550 / एल०बी०सी० / 2024, दिनांक 18.10.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण की अन्तरिम अधिसूचना उत्तराखण्ड शासन सिंचाई अनुभाग एवं बाढ नियंत्रण अनुभाग–2 के अधिसूचना सं0–941/II(2)/2024-6(40)/2024, दिनांक 07.10.2024 द्वारा जारी कर दी गई है, जिसका प्रकाशन बाढ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी / जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 11.10.2024 को अमर ऊजाला एवं हिन्दुस्तान अखबार में किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में जन आपत्तिया दिनांक 11.12.2024 तक ली जानी है। अधिसूचना से सम्बन्धित प्रतिषिद्ध / निर्बन्धित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार (ढोल आदि) के माध्यम से करा दिया गया है। उक्त प्रचार प्रसार की विडियोंग्राफी भी कराई गई है, उक्त के अनुपालन में रिस्पना नदी के दोनो तटों पर स्थित समस्त प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में मुनादी की फोटोग्राफ्स / विडियोग्राफी की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में सलंग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून।

पत्रांक– /अ०नि०ख०दे० / तदिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून।

ANNEXURE G

काठबंगला बस्ती– रिस्पना नदी

शिखर फाल–रिस्पना नदी

मकडैती गॉव–रिस्पना नदी

केरवान गॉव–रिस्पना नदी

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड,
देहरादून।

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी,
देहरादून।

पत्रांकः– 3190 /अ0नि0ख0दे0/FPZ दिनांकः– 09/12/2024

विषयः– रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–941/एल0बी0सी0/2024, दिनांक 07.12.2024 एवं सं0–550/एल0बी0सी0/2024, दिनांक 18.10.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम मे अवगतनीय है कि रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण की अन्तरिम अधिसूचना उत्तराखण्ड शासन सिंचाई अनुभाग एवं बाढ नियंत्रण अनुभाग–2 के अधिसूचना सं0–941/II(2)/2024-6(40)/2024, दिनांक 07.10.2024 द्वारा जारी कर दी गई है, जिसका प्रकाशन बाढ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 11.10.2024 को अमर ऊजाला एवं हिन्दुस्तान अखबार में किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में जन आपत्तिया दिनांक 10.12.2024 तक ली जानी है।

अधिसूचना से सम्बन्धित प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार (ढोल आदि) के माध्यम से कराया गया था, जिसकी सूचना (फोटो एवं विडियोग्राफी सहित) इस कार्यालय के पत्र सं0–2942/अ0नि0ख0दे0/FPZ, दिनांक 07.11.2024 द्वारा अपर जिलाधिकारी को प्रेषित की गई थी। पुनः दिनांक 26.11.2024 एवं 27.11.2024 को दोबारा अधिसूचना से सम्बन्धित प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार (ढोल आदि) के माध्यम से किया गया। (फोटोग्राफ सलंग्न)

जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–941/एल0बी0सी0/2024, दिनांक 07.12.2024 के द्वारा अधिसूचना से सम्बन्धित प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों में सम्यक रूप से व्यापक प्रचार प्रसार कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके कम में दिनांक 09.12.2024 को अधिसूचना से सम्बन्धित प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार (ढोल आदि) के माध्यम से पुनः कराया है एवं मुनादी की फोटोग्राफ्स/विडियोग्राफी की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में सलंग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

(4503)

OC/LBC

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

ADM (E)

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून।

पत्रांक– /अ0नि0ख0दे0/तदिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादराबाद।

अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून।

2024-25/Drawing Section/Flood Plain Zone/letters

3rd Munadi

रिस्पना नदी

डालनवाला–रिस्पना नदी

रिस्पना नदी

MAYURI
GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
8396+36p, Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand
248001, India
Lat 30.317721° Long 78.06062°
09/12/24 02:47 PM GMT +05:30
Google

STRENGTH
SELF-DEFENCE
FLEXIBILITY
FITNESS TRAINING
GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
83p8+75h, Rishi Nagar, Dehradun, Uttarakhand
248001, India
Lat 30.335756° Long 78.065418°
09/12/24 01:54 PM GMT +05:30
Google

रिस्पना नदी

SCRAP SHOP
GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
83p7+4p4, Dl Rd, Kandholi, Chironwali,
Dehradun, Uttarakhand 248001, India
Lat 30.335297° Long 78.064499°
09/12/24 02:07 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Tarla Nagal, Uttarakhand, India
93hr+mmx, Kathbangla Bhag 2, Ias Officers Colony,
Rajpur, Tarla Nagal, Dehradun, Uttarakhand 248001, India
Lat 30.379282° Long 78.092648°
09/12/24 12:47 PM GMT +05:30
Google